Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

जनवरी 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

08/01/2024 से 14/01/2024 तक

दिल्ली कार्यालय
706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

नोएडा कार्यालय
बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर प्रदेश - 201301

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	दिव्यांगजन : कल्याण और सशक्तिकरण	1 - 8
2.	यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम)	8 - 12
3.	बिलकिस बानो को सर्वोच्च न्याय : स्वतंत्रता का अधिकार बनाम कानून का शासन	13 - 16
4.	वर्तमान भू – राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत – बांग्लादेश संबंध : अवसर और चुनौतियाँ	16 - 22
5.	भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का बढ़ता उपयोग	22 - 27
6.	राजकोषीय समेकन : प्रत्यक्ष कर – संग्रह लक्ष्य की ओर बढ़ता भारत और मजबूत राजस्व – प्रणाली	27 - 32

करंट अफेयर्स जनवरी 2024

दिव्यांगजन : कल्याण और सशक्तिकरण

स्रोत – ' द हिन्द '

सामान्य अध्ययन : सामाजिक न्याय, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

चर्चा में क्यों ?

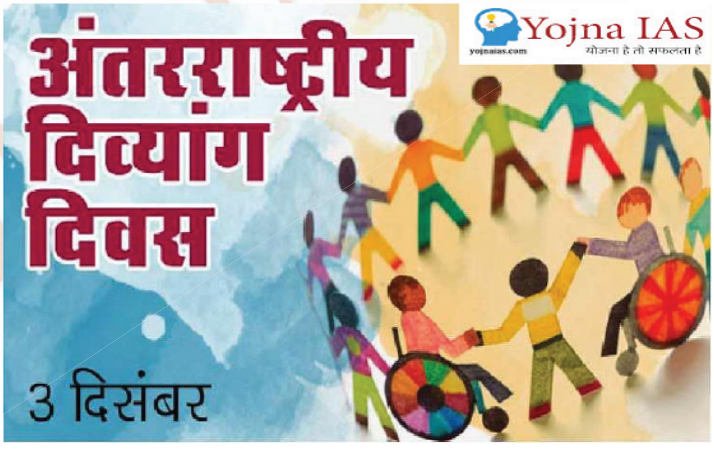

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा 1 नवंबर 2023 से मिस्र की सुश्री हेबा हाग्रास को दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों पर विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सुश्री हेबा हाग्रास विश्व भर में एक समाजशास्त्री, एक वकील, अंतरराष्ट्रीय विकलांगता सलाहकार और एक शोधकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित रही हैं। वह मिस्र, अरब क्षेत्र और दुनिया भर में व्यापक अनुभव वाले दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों के लिए तथा विशेष रूप से दिव्यांगजन महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करती रही हैं। सन 2015 और सन 2020 के बीच सुश्री हैग्रास मिस्र में,संसद सदस्य के रूप में विधायी सुधारों में दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विकलांगता मामलों की राष्ट्रीय परिषद् के महासचिव के रूप में कार्य किया। वह दिव्यांगजन-लोगों के अरब संगठन की संस्थापक सदस्या भी रही हैं, जहां वह 1998 से 2008 के बीच सक्रिय थीं, जिसमें वे महिला मामलों की समिति की प्रमुख भी थीं।
- **वर्ष 2022 में विश्व दिव्यांग दिवस थीम – " समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान (Transformative solutions for inclusive development)" थी।**
- **1992 में, संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर को दिव्यांगजन व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस (आईडीपीडी) के तौर पर घोषित किया था**। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में दिव्यांगजनों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इनके अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के इरादे से यह दिवस हर वर्ष दुनियाभर में मनाया जाता है।
- भारत में, हर साल दिव्यांगजन व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, दिव्यांगजनों के जीवन में सशक्तिकरण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए कुछ व्यक्तियों/ संस्थानों/ राज्यों/ जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार निम्नलिखित 14 श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं: –

(i) सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी/ दिव्यांगजनस्व-रोज़गार ।
(ii) (क) सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (ख) सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी ।
(iii) दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाला (क) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या (ख) सर्वश्रेष्ठ संस्थान।

(iv) रोल मॉडल (1) दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्य से सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान या नवाचार या उत्पाद विकास।
(v) दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य ।
(vi) सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला।
(vii) राष्ट्रीय दिव्यांग संघ विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी ।
(viii) उत्कृष्ट रचनात्मक वयस्क दिव्यांगजन और सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक दिव्यांग बच्चे।
(ix) सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस।
(x) सर्वश्रेष्ठ 'सुलभ वेबसाइट।
(xi) विकलांगों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य और
(xii) सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी।

- नि:शक्तता के कई कारण होते हैं – जिनमें से कुछ ज्ञात हैं और कुछ का पता लगाना मुश्किल है। ज्ञात कारणों के मामले में, निवारक उपाय जन्मजात और उपार्जित दोनों तरह की नि:शक्तता की घटनाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में, विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। अधिनियम में पहले के सात प्रकारों के बजाय 21 प्रकार की अक्षमताओं की गणना की गई है और केंद्र सरकार को समय-समय पर सूची को संशोधित करने का अधिकार दिया है। इसने दिव्यांगजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया है, जो दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों (यूएनसीआरपीडी) पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करता है, जसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

अशक्तता का अर्थ और परिभाषा:

कोई व्यक्ति एक विशिष्ट वातावरण में अशक्त या दिव्यांग हो सकता है लेकिन कई जगहों पर अशक्त नहीं हो सकता है। अशक्तता को अक्सर शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के सामान्य कामकाज में खराबी, गड़बड़ी या हानि के रूप में, या सामाजिक रूप से सीखने या समायोजित करने में कठिनाई होने के तौर पर परिभाषित किया जाता है, जो सामान्य वृद्धि और विकास में हस्तक्षेप करती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीड-ब्ल्यूडी अधिनियम), दिव्यांगजन, बेंचमार्क अशक्त व्यक्ति, और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के निम्नलिखित अर्थ हैं:-

अशक्त व्यक्ति – लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति, जो बाधाओं के साथ बातचीत, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं, अशक्त व्यक्ति कहलाते है।

बेंचमार्क अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति – कम से कम 40 प्रतिशत निर्दिष्ट अशक्तता वाला व्यक्ति जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापन योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें अशक्तता वाला व्यक्ति शामिल है, जहां निर्दिष्ट अक्षमता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन –

दिव्यांगजन अधिनियम के **अनुच्छेद 58 की उप-अनुच्छेद (2) के खंड (क)** के तहत प्रमाणित बेंचमार्क नि:शक्त-ता वाला व्यक्ति जिसे उच्च समर्थन की आवश्यकता है। **भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार,दिव्यांगजनों की अनुमानित संख्या 2.68 करोड़ (भारत की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत) हैं। इन दिव्यांगजनों की कु आबादी में से लगभग 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं।** इनमें देखने, सुनने, बोलने और चलने में अक्षम, मानसिक बीमारी, मानसिक मंदता (बौद्धिक अशक्तता), बहु-विकलांगता और अन्य अक्षमताओं वाले व्यक्ति शामिल हैं। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अनुसार, लगभग 36 प्रतिशत दि-व्यांगजन काम कर रहे हैं (पुरुष- 47 प्रतिशत और महिला-23 प्रतिशत). दिव्यांगजनश्रमिकों में, 31 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं. 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में 50 प्रतिशत दिव्यांगजनबच्चे कार्यरत हैं, जबकि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के 4 प्रतिशत दिव्यांगजन बच्चे कार्यरत हैं।

संवैधानिक अधिकार :

- भारत का संविधान, अपनी प्रस्तावना के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित

करने का प्रयास करता है; न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता. ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-जी) के प्रासंगिक उद्धरण दिव्यांगजनऔर मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करते हैं (प्रविष्टि संख्या 26), और बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-डब्ल्यू) में कमजोर, दिव्यांगजनऔर मानसिक रूप से मंद समाज के वर्गों (प्रविष्टि संख्या 09) सहित, के हितों की रक्षा करने की बात कही गई है।

दिव्यांगजनों के संरक्षण और कल्याण से संबंधित कानून :

भारत में अभी दिव्यांगजनों के संरक्षण और कल्याण से संबंधित निम्नलिखित कानून विद्यमान हैं –

- **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992**
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016**
- **ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट और एकाधिक विकलांगता अधिनियम, 1999**
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पहले तीन कानूनों से संबंधित कार्यों की देख-रेख करता है। चौथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 कानून स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992: इस अधिनियम में पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) के रख-रखाव को विनियमित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के गठन का प्रावधान है. देशभर में लगभग 750 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम चला रहे हैं. वे एम.फिल-स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं. वर्तमान में, आरसीआई को आवंटित सभी 16 श्रेणियों के पेशेवरों/कार्मिकों को कवर करते हुए 60 पाठ्यक्रम नियमित पद्धति के माध्यम से परिचालित हैं।

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 : भारत सरकार ने इस अधिनियम को अधिनियमित किया है जिसका उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक निकाय का गठन करना है. ट्रस्ट का उद्देश्य मानसिक मंदता और सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों की पूरी देखभाल करना है और ट्रस्ट को दी गई संपत्तियों का प्रबंधन भी करना है।

दिव्यांयगजन अधिकार अधिनियम – 2016 : यह अधिनियम दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रभावी है. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए उपयुक्त सरकारों पर जिम्मेदारी डाली गई है कि दिव्यांगजन भी दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें. विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम – 2017: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का उद्देश्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं सुनिश्चित करना तथा मानसिक स्वा-स्थ्य देखभाल और सेवाओं के वितरण के दौरान और इनसे जुड़े या उनके आकस्मिक मामलों में ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, बढ़ावा देना और उन्हें पूरा करना है।

भारत में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति :

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय नीति, 2006 की समीक्षा करने और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों, विकलांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और विकलांगता के प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए एक नए नीति दस्तावेज का सुझाव देने के लिए सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

भारत में दिव्यांगजनों के महत्वपूर्ण अधिकार :

शिक्षा का अधिकार :

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक सक्षम समावेशी वातावरण में शिक्षा के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों

(सीएसडब्ल्यूएन) की शिक्षा के लिए नए प्रोत्साहन का वादा करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की विकलांगता की श्रेणी और डिग्री हो. आरटीई अधिनियम के अनुच्छेद 23 के तहत एनसीटीई द्वारा अधिसूचित शिक्षक योग्यताएं विशेष शिक्षा (डी.एड और बी.एड विशेष शिक्षा) वाले व्यक्तियों को अन्य शिक्षकों के समान शिक्षकों के रूप में मान्यता देती हैं और सामान्य स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की तैनाती एक सकारात्मक है।

उच्च शिक्षा में प्रवेश का अधिकार :

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिकार के अनुसार, सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को बेंचमार्क नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी और उन्हें प्रवेश के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की आयु में छूट देनी होगी।

रोज़गार का अधिकार:

- भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 15 जनवरी, 2018 को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक परिपत्र जारी किया, **जिसमें आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 34 के तहत निर्दिष्ट सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगजनव्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण निर्दिष्ट किया गया है।**

कानूनी संरक्षकता का अधिकार:

- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्ति एक विशेष स्थिति में होते हैं क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी, वे हमेशा अपने स्वयं के जीवन का प्रबंधन करने या अपनी बेहतरी के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं. इसलिए, उन्हें अपने पूरे जीवन में कानूनी क्षेत्रों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी की आवश्यकता हो सकती है. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुच्छेनद 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर की समिति को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक दिव्यांगजनव्यक्तियों के लिए आवेदन प्राप्त करने और नियुक्त करने का अधिकार है. यह उनकी संपत्तियों सहित उनके हितों की निगरानी और सुरक्षा के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।

अभिगम्यता का अधिकार :

- दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से जीने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम करने के लिए, दिव्यांगजनों को अन्य लोगों के साथ समान आधार पर, भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और प्रणालियों सहित, और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए जो जनता के लिए खुली या प्रदान की जाती हैं, तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों की आवश्यकता है. इन उपायों में पहुंच के लिए बाधाओं की पहचान और उन्मूलन शामिल है।

अशक्तता प्रमाण पत्र का अधिकार:

- दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन अधिनियम के अधिकार के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. प्रमाण पत्र दिव्यांगजन विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी किए जाते हैं. विकलांगों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. उनकी विकलांगता के प्रकार की व्याख्या करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट का होना आवश्यक है, और विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40 प्रतिशत होनी चाहिए. प्रमाणन प्रक्रिया दिव्यांगजनव्यक्ति या माता-पिता के पास मेडिकल बोर्ड के माध्यम से अशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निकटतम जिला अस्पताल से संपर्क करने से शुरू होती है. इसके बाद मेडिकल बोर्ड विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के लिए विशेषीकृत चिकित्सा उप-समितियों को मामलों को अग्रेषित करता है।
- दिव्यांगजनों को अधिकार सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी: नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक अलग अशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) अधिकारिता विभाग बनाया गया था. विभाग विभिन्न हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय को प्रभावित करने सहित विकलांगता और पीडब्ल्यूडी से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सांस्थानिक ढांचा : कानूनी ढांचे के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत 13 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है। राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए लगभग 200 जिला अशक्तता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के लिए 20 समग्र पुनर्वास केंद्र (सीआरसी) भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा, 750 निजी संस्थान पुनर्वास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

भारत में दिव्यांगजनों की चिकित्सा और देखभाल के राष्ट्रीय संस्थानों की सूची निम्नलिखित है:-

1. शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून
3. राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता।
4. राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान, सिकंदराबाद।
5. राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुम्बई
6. राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, कटक।
7. राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई।

दिव्यांगजनों के अधिकार सुनिश्चित करने वाले सांविधिक निकाय :

- दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी): सीसीपीडी का कार्यालय दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 74(1) के दायरे में आता है। पीडब्ल्यूडी के मुख्य आयुक्त को विकलांगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य ऐसे कानून के तहत जो वर्तमान में लागू है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश या उसके द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए अधिकार सौंपा गया है। इनमें मुख्य आयुक्त द्वारा उन कारकों की समीक्षा करना शामिल है जो विकलांगों के अधिकारों के लाभों को बाधित करते हैं। मुख्य – आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा, विकलांगों के अधिकारों से वंचित करने या गैर-कार्यान्वयन या पीडब्ल्यूडी के अधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाया या जारी नियमों, उप-नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों से संबंधित शिकायतों को देख सकते हैं और मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य आयुक्त को कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए एक सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं।
- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट: राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत स्थापित राष्ट्रीय ट्रस्ट एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए की गई है। स्थानीय स्तर की समिति के माध्यम से कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है और पंजीकृत संगठनों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता – निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल और अधिकारिता शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास समान अवसरों, अधिकारों की रक्षा और अधिनियम के तहत शामिल दिव्यांगजनों (दिव्यांगजन) की पूर्ण भागीदारी की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) :

- भारतीय पुनर्वास परिषद को संसद के एक अधिनियम, अर्थात्, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 द्वारा एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। इस परिषद के लिए पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और निगरानी करने और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) :

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक अलग क्षेत्र कौशल परिषद बनाई गई है जिसमें निजी क्षेत्र से अध्यक्ष और पूर्णकालिक सीईओ हैं. परिषद में विभिन्न सदस्य हैं जो सरकारी और निजी क्षेत्र के हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन हैं।

भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित उपाय / प्रावधान किए हैं –

1. भारत सरकार ने 15 जून, 2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियम अधिसूचित किए. इन नियमों में निर्मित वा-तावरण, यात्री बस परिवहन और वेबसाइटों के लिए पहुंच मानकों के अलावा, आवेदन करने की प्रक्रिया और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया, समान अवसर नीति के प्रकाशन, राष्ट्रीय कोष के उपयोग और प्रबंधन के तरीके आदि विनिर्दिष्ट किए गए है।
2. भारत सरकार ने 04 जनवरी, 2018 को किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट नि:शक्तता की स्थिति के आकलन के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया. ये दिशा-निर्देश मूल्यांकन की एक विस्तृत प्रक्रिया के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की संरचना प्रदान करते हैं।
3. दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, भारत सरकार ने 08 मार्च, 2019 को दिव्यांगजनों के अधिकार (संशोधन) नियम अधिसूचित किए, जिसमें एक मूल्यांकन बोर्ड, ऐसे बोर्डों की संरचना, इनकी उच्च समर्थन आवश्यकताओं की मांग करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनव्यक्तियों के मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट किया गया था।
4. राज्यों को समय-समय पर अधिनियम की धारा 101 के अनुसार नियम बनाने की सलाह दी गई है. 31 मार्च, 2020 तक, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उक्त अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित किया है।
5. दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, भारत सरकार ने 08 नवंबर, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अब तक चार बार बैठकें हो चुकी हैं।

चुनौतियां :

भारत में दिव्यांगजनों के प्रति आम जनता की धारणा में बदलाव लाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता पैदा करना न केवल आम जनता बल्कि दिव्यांगजनों की मानसिकता को बदलने और उनके आत्म-विश्वास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजनों के प्रति बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को योजना बनाने और निष्पादन करने के स्तर पर सुगम्यता मानकों की संस्कृति आत्मसात करने की बहुत अधिक आवश्यकता है।

- अनुमानित 1.3 अरब लोग महत्वपूर्ण विकलांगता का अनुभव करते हैं। यह विश्व की 16% जनसंख्या, या 6 में से 1 व्यक्ति विकलांग है।
- कुछ दिव्यांगजन व्यक्तियों की मृत्यु बिना दिव्यांगजन व्यक्तियों की तुलना में 20 वर्ष पहले हो जाती है।
- अवसाद, अस्थमा, मधुमेह, स्ट्रोक, मोटापा या खराब मौखिक स्वास्थ्य जैसी स्थितियां विकसित होने का जोखिम दिव्यांगजन व्यक्तियों में दोगुना होता है।
- दिव्यांगजन व्यक्तियों को कई स्वास्थ्य असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
- दिव्यांगजन व्यक्तियों को दुर्गम और अप्रभावी परिवहन बिना दिव्यांगजनलोगों की तुलना में 15 गुना अधिक कठिनाई से मिलता है।
- कलंक, भेदभाव, गरीबी, शिक्षा और रोजगार से बहिष्कार और स्वास्थ्य प्रणाली में आने वाली बाधाएँ, स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ दिव्यांगजन व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली अनुचित परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं।
- भारत में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक बहिष्कार और स्वास्थ्य प्रणाली में आने वाली बाधाएँ आम बात हैं।

संरचनात्मक कारक :

- दिव्यांगजन व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं में सक्षमता, कलंक और भेदभाव का अनुभव होता है, जो

उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कानून और नीतियां उन्हें अपने निर्णय लेने के अधिकार से वंचित कर सकती हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई हानिकारक प्रथाओं, जैसे जबरन नसबंदी, अनैच्छिक प्रवेश और उपचार, और यहां तक कि संस्थागतकरण की अनुमति भी दे सकती हैं।

स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक :

- गरीबी, शिक्षा और रोजगार से बहिष्कार, और खराब रहने की स्थिति सभी दिव्यांगजनव्यक्तियों के बीच खराब स्वास्थ्य और अपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के जोखिम को बढ़ाते हैं। औपचारिक सामाजिक सहायता तंत्र में अंतराल का मतलब है कि दिव्यांगजनव्यक्ति स्वास्थ्य और सामुदायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए परिवार के सदस्यों के समर्थन पर निर्भर हैं, जिससे न केवल उन्हें बल्कि उनकी देखभाल करने वालों (जो ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं) को भी नुकसान होता है।

जोखिम कारक :

- दिव्यांगजन व्यक्तियों में धूम्रपान, खराब आहार, शराब का सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे गैर-संचारी रोगों के जोखिम कारक होने की अधिक संभावना है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से वंचित रखा जाता है।

स्वास्थ्य प्रणाली :

दिव्यांगजन व्यक्तियों को स्वास्थ्य प्रणाली के सभी पहलुओं में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच ज्ञान की कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभावपूर्ण व्यवहार; दुर्गम स्वास्थ्य सुविधाएं और जानकारी; और विकलांगता पर जानकारी या डेटा संग्रह और विश्लेषण की कमी, सभी इस समूह द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य असमानताओं में योगदान करते हैं।

स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक को प्राप्त करने के लिए और आपातकालीन अंतर-क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तक पहुंच के लिए डब्ल्यूएचओ यह सुनिश्चित करने का काम करता है कि दिव्यांगजन व्यक्तियों को प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच मिले।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) निम्नलिखित कार्य करता है –

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वास्थ्य प्रणाली प्रशासन और योजना में विकलांगता समावेशन पर सदस्य राज्यों का मार्गदर्शन और समर्थन करता है।
- विकलांगता से संबंधित डेटा और जानकारी के संग्रह और प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में विकलांगता समावेशन को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देशों सहित मानक उपकरण विकसित करता है।
- स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच क्षमता का निर्माण करता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को बढ़ावा देता है कि दिव्यांगजनलोगों को अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जानकारी हो, और स्वास्थ्य देखभाल कर्मी दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान का समर्थन और सुरक्षा करें।
- **"संयुक्त राष्ट्र के कार्य के सभी स्तंभों के माध्यम से विकलांगता समावेशन पर सतत और परिवर्तनकारी प्रगति"** को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकलांगता समावेशन रणनीति (यूएनडीआईएस) में योगदान देता है।
- सदस्य राज्यों और विकास भागीदारों को स्वास्थ्य क्षेत्र में विकलांगता समावेशन से संबंधित अद्यतन साक्ष्य, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में दिव्यांगजनों की चिकित्सा और देखभाल के लिए दिए गए राष्ट्रीय संस्थानों की सूची और स्थानों राज्यों को सुमेलित कीजिए।

संस्थान –	**स्थान**
(1) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान	(a) देहरादून।
(2) राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान	(b) सिकंदराबाद।
(3). राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान	(c) चंडीगढ़।

(4) राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (d) पटना।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 3 और 4
(C) केवल 1 और 2
(D) इनमें से कोई भी नहीं।

उत्तर – (c)

मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न :

Q.1. दिव्यांगजन व्यक्तियों के जीवन में भारत के सभी मौलिक अधिकार किस प्रकार संरक्षित होते हैं ? 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' 2016 ने भारत ने दिव्यांगता से संबद्ध विभिन्न कारकों को समाप्त करने में किस हद तक योगदान दिया है?

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम)

स्त्रोत – ' द हिन्द' का संपादकीय और पीआईबी का संक्षिप्त सारांश।

सामान्य अध्ययन : जलवायु परिवर्तन, सतत विकास ,अंतर्राष्ट्रीय संबध , अर्थव्यवस्था के सतत आयाम , उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETC), ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन रिसाव, विश्व व्यापार संगठन कानून।

चर्चा में क्यों ?

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसके वैश्विक स्तर पर शीघ्र समाधान की अत्यंत आवश्यकता है। जीवाश्म ईंधनों, गैर-हरित या पर्यावरणीय रूप से अस्थिर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बनाए गए सामानों के आयात पर **यूरोपीय संघ (European Union- EU) द्वारा 'कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM)'** , के तहत अब कार्बन टैक्स लगाया जायेगा, जो अक्तूबर 2023 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन नीति को लेकर स्वयं ही अति महत्वकांक्षी है, और जब तक कई गैर – यूरोपीय संघ देशों में कम कठोर जलवायु नीतियां लागू रहती है, तब तक सदैव ' कार्बन रिसाव ' का खतरा बना रहता है। कार्बन रिसाव तब होता है जब यूरोपीय संघ में स्थित कंपनियां कार्बन-सघन उत्पादन को विदेशों में उन देशों में ले जाती हैं जहां यूरोपीय संघ की तुलना में कम कठोर जलवायु – परिवर्तन नीतियां लागू होती हैं, या जब यूरोपीय संघ के उत्पादों को अधिक कार्बन-सघन आयातों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

- यूरोपीय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) शुरू में कुछ चयनित वस्तुओं जिनके उत्पादन प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा काफी अधिक गहन है और जिसमें कार्बन रिसाव का सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है:जैसे कि – सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन इत्यादि के आयात पर ही लागू होगा।
- **1 जनवरी, 2026** से सीबीएएम यूरोपीय संघ से जुड़े देशों में कुछ चुनिंदा वस्तुओं के उत्पादित आयातों पर **20 से लेकर 35%** कार्बन कर आरोपित करेगा।

क्या है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र ?

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का परिचय :

- यूरोपीय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) जलवायु परिवर्तन की दिशा में वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम – से – कम 55% की कटौती करके यूरोपीय जलवायु परिवर्तन कानून का पालन करने की यूरोपीय संघ की एक रणनीति है। सीबीएएम (CBAM) **" फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज "** का एक घटक भी है।
- CBAM एक नीति उपकरण है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूरोपीय संघ में **कार्बन – उत्सर्जन** को कम – से – कम करके आयातित सामान यूरोपीय संघ के देशों के भीतर उत्पादित उत्पादों के समान कार्बन लागत के अधीन हों।

क्या है कार्बन टैक्स लगाने का कारण ?

- यूरोपीय संघ ने वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 55 फीसदी की कटौती करने की घोषणा की है। अब तक इनमें 24 फीसदी की गिरावट देखी गई है। हालांकि आयात से होने वाले उत्सर्जन का यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में 20 फीसदी का योगदान है, जिसमें और भी वृद्धि देखी जा रही है।

क्या है मुद्दे ?

- कार्बन टैक्स को लेकर **'BASIC' देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन – Brazil, South Africa, India, China)** के समूह ने एक संयुक्त बयान (Joint Statement) में यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि – **" यह 'भेदभावपूर्ण' एवं समानता एवं 'समान परंतु अलग-अलग उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं' (CBDR-RC) के सिद्धांत के खिलाफ है। ये सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए विकासशील और संवेदनशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी (Financial and Technical) सहायता देने के लिए उत्तरदायी हैं।"**

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का प्रमुख उद्देश्य :

- यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का प्रमुख उद्देश्य विश्व में स्वच्छ ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि इससे जलवायु परिवर्तन के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य कार्बन – उत्सर्जन के गहन आयात के संकट में न पड़ें और विश्व के शेष देशों को भी स्वच्छ ईंधन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का महत्त्व :

- यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र गैर-यूरोपीय संघ के देशों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अत्यंत कठोर कड़े पर्यावरणीय नियमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जिससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है।
- यह निर्माण कंपनियों को पर्यावरण संबंधी कम सख्त नियमों वाले देशों में स्थानांतरित होने से रोक कर कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है या रोक सकता है।
- यूरोपीय संघ की जलवायु नीतियों का समर्थन करने के लिए CBAM से उत्पन्न राजस्व का उपयोग किया जाएगा, जिससे विश्व के शेष अन्य देश भी हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकता है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के कार्यान्वयन के तरीके :

- CBAM को वार्षिक आधार पर आयातकों को यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं की मात्रा के साथ-साथ उनके निहित ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की घोषणा करने पर लागू किया जाएगा।
- इन उत्सर्जन को ऑफसेट करने हेतु आयातकों को CBAM प्रमाणपत्रों की एक समान संख्या को सरेंडर करने की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ETS) भत्ते के साप्ताहिक औसत नीलामी मूल्य प्रति टन यूरो CO2 उत्सर्जन पर आधारित होगी।

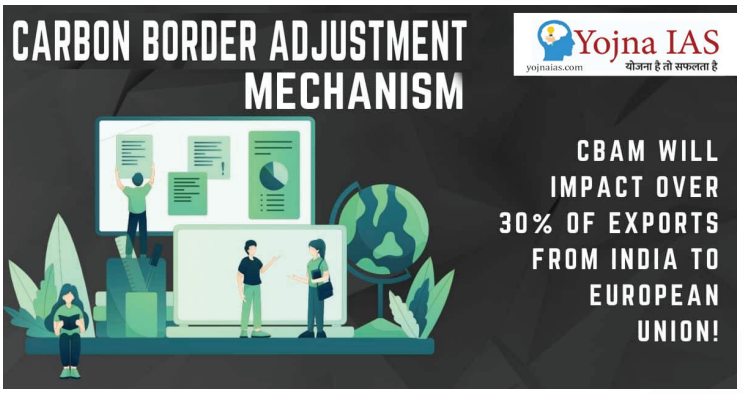

भारत पर इसका प्रभाव ?

- यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूरोपीय संघ, भारत में बनी हुई वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर भारतीय वस्तुओं को खरीदारों के लिए कम आकर्षक बना देगा जो मांग को कम कर सकता है। यह कार्बन कर बड़ी ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट वाली कंपनियों के लिए निकट भविष्य में गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकता है ।
- इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए दुनिया भर में एक समान मानक स्थापित करने की यूरोपीय संघ की धारणा **' रियो घोषणा ' के अनुच्छेद-12 में निहित वैश्विक सहमति** के भी खिलाफ है। जिसके अनुसार विकसित देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के लागू मानकों को विकासशील देशों पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- गौरतलब यह है कि इन आयातों की ग्रीनहाउस सामग्री को आयात करने वाले देशों की ग्रीनहाउस गैस सूची में भी समायोजित करना होगा, जिसके लिए यह अनिवार्य रूप से जरूरी है कि ग्रीनहाउस गैस सूची को **"उत्पादन के आधार पर"** नहीं बल्कि **"खपत के आधार पर"** गिना जाना चाहिए । यह पूरे जलवायु परिवर्तन व्यवस्था को पूरंतः बदल देगी। विश्व के कई विशेषज्ञ इस नीति को **'संरक्षणवाद का अलग रूप'** भी मान रहे हैं।
- यह संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को दिखाता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय – व्यापार को प्रतिबंधित करता है। ऐसी नीतियों को आमतौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लक्ष्य के साथ लागू किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा खतरा और जोखिम यह है कि यह एक संरक्षणवादी उपकरण बन जाता है, जो स्थानीय उद्योगों को **'हरित संरक्षणवाद'** का बहाना बनाकर विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाता है।

भारत के निर्यात पर इसका प्रभाव :

- इससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच किए जाने वाले लौह, इस्पात और एल्युमीनियम जैसे उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस प्रणाली के तहत इन्हें अतिरिक्त जाँच का सामना करना पड़ेगा।
- यूरोपीय संघ द्वारा 19.8% से लेकर 52.7% तक कार्बन कर लगाए जाने से भारत द्वारा यूरोपीय संघ को जो लौह अयस्क और इस्पात का निर्यात किया जाता है, उस व्यापार के काफी प्रभावित होने की संभावना है।
- यूरोपीय संघ इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और विद्त की हर खेप पर 1 जनवरी, 2026 से कार्बन कर वसूलना शुरू कर देगा , जिससे भारत के सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम, इस्पात, हाइड्रोजन और विद्त व्यापर के क्षेत्र में प्रत्कूल प्रभाव पड़ेगा।

उच्च शुल्क और भारतीय उत्पादों की कार्बन तीव्रता :

- ऊर्जा खपत में कोयले का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने के कारण, भारतीय उत्पादों की कार्बन तीव्रता अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। ऐसी स्थिति में यूरोपीय संघ और भारत के आपसी व्यापर संबंधों पर व्यापक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।
- **भारत में कोयले से उत्पन्न होने वाली विद्त का अनुपात 75% के करीब है जो कि यूरोपीय संघ (15%) और वैश्विक औसत (36%) से काफी अधिक है।**
- भारत के लौह और इस्पात तथा एल्युमीनियम संयंत्रों से उत्पादित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि भारत के इन उद्योगों में कार्बन के उच्च उत्सर्जन के कारण यूरोपीय संघ को उच्च कार्बन कर का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे लागत मूल्य में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है।

भारत के निर्यात पर प्रभाव और संभावित खतरा :

- यूरोपीय संघ द्वारा आरोपित कार्बन टैक्स भारत के परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, जैविक रसायन, फार्मा दवाएँ और वस्त्र आदि, जो यूरोपीय संघ द्वारा भारत से आयात किए जाते हैं, इन शीर्ष 20 उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा शामिल हैं।
- वर्तमान में भारत में कोई स्वदेशी कार्बन मूल्य निर्धारण योजना नहीं है, इससे कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ने का जोखिम होता रहता है, क्योंकि कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली वाले अन्य देशों को न्यूनतम कार्बन कर का भुगतान करना पड़ सकता है अथवा उन्हें छूट भी मिल सकती है।

यूरोपीय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) के प्रभाव को कम करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदम :

डीकार्बोनाइज़ेशन सिद्धांत :

- भारत सरकार के पास पहले से ही मौजूद ' राष्ट्रीय इस्पात नीति' जैसी योजनाएँ हैं। भारत सरकार के इस **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)** योजना का उद्देश्य भारत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, लेकिन मौजूदा ' राष्ट्रीय इस्पात नीति' कार्बन दक्षता जैसी योजनाओं के उद्देश्यों से परे है।
- भारत सरकार इन योजनाओं को डीकार्बोनाइज़ेशन सिद्धांत के साथ शामिल कर सकती है।
- डीकार्बोनाइज़ेशन का तात्पर्य परिवहन, विद्युत उत्पादन, निर्माण और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया से है।

यूरोपीय संघ के साथ कार्बन कर कटौती के लिए समझौता वार्ता :

- अपने ऊर्जा करों को कार्बन मूल्य के समतुल्य बनाने के लिए भारत सरकार यूरोपीय संघ के साथ समझौता वार्ता कर सकता है, जो भारत के निर्यात क्षेत्र को CBAM के प्रति कम संवेदनशील बनाएगा।
- कोयले पर भारत का कर, कार्बन उत्सर्जन की आंतरिक लागत को निर्मित करने का एक उपाय है, जो कार्बन कर के ही समतुल्य है।

नवीन, उन्नत एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और वित्तपोषण तंत्र का आपसी हस्तांतरण :

- नवीन, उन्नत एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और वित्तपोषण तंत्र को आपस में स्थानांतरित करने हेतु भारत को औरअधिक कार्बन कुशल बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए एक तरीका यह है कि भारत को जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने के लिखे यूरोपीय संघ को अपने CBAM राजस्व का एक हिस्सा अलग रखने का प्रस्ताव दिया जाए।
- चीन और रूस जिस तरह कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम स्थापित कर कर रहे हैं, भारत को भी नई व्यवस्था के लिए उसी तरह तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए।

स्वच्छ एवं हरित उत्पादन को प्रोत्साहन :

- भारत को अपने विकासात्मक लक्ष्यों एवं आर्थिक आकांक्षाओं से समझौता किए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली और इसके शुद्ध शून्य लक्ष्य 2070 को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाना चाहिए।
- भारत को इस दिशा में अपनी तैयारी प्रारंभ करने के साथ – ही – साथ स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करके उसे हरा-भरा और सतत् बनाने का अवसर हासिल करने की ओर बढ़ना चाहिए जो भारत भविष्य में कार्बन उत्सर्जन के प्रति और अधिक जागरूक और प्रतिस्पर्द्धी दोनों रूप से भारत को लाभान्वित करेगा।

यूरोपीय संघ का कार्बन कर (टैक्स) फ्रेमवर्क :

- G-20, 2023 के मुख्य नेतृत्वकर्ता देश और मेज़बान नेता के रूप मे भारत अन्य देशों की वकालत करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करना चाहिए और उनसे यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स ढाँचे का विरोध करने का आग्रह करना चाहिए ।
- यूरोपीय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) का प्रभाव उन गरीब देशों पर पड़ेगा जो खनिज संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अतः भारत को न केवल अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए बल्कि इसके नकारात्मक प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए, ताकि भारत भी वैश्विक समुदाय के व्यापारिक और आर्थिक हितों के साथ सामंजस्य बैठा सके।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- यूरोपीय कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) आयातित वस्तुओं से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक निष्पक्ष-व्यापार वातावरण बनाने की नीति है। भारत को इस कार्बन टैक्स नीति को अत्यंत लचीला बनाने के लिए यूरोपीय संघ पर अपना दबाव बढ़ाना चाहिए।
- यह अन्य देशों को सख्त पर्यावरणीय नियमों और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. **यूरोपीय संघ के 'कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।**

1. सीबीएएम (CBAM) " फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज " का एक घटक है।
2. कार्बन टैक्स को लेकर 'BASIC' देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन – Brazil, South Africa, India, China) के समूह ने इसका विरोध किया है।
3. 1 जनवरी, 2026 से सीबीएएम यूरोपीय संघ से जुड़े देशों में कुछ चुनिंदा वस्तुओं के उत्पादित आयातों पर 20 से लेकर 35% कार्बन कर आरोपित करेगा।
4. पर्यावरण के लिए दुनिया भर में एक समान मानक स्थापित करने की यूरोपीय संघ की धारणा ' रियो घोषणा ' के अनुच्छेद-12 में निहित वैश्विक सहमति के खिलाफ है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1 , 2 और 3
(B). केवल 2 , 3 और 4
(C). इनमें से कोई नहीं।
(D). इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र की संक्षिप्त चर्चा करते हुए यह व्याख्या कीजिए कि भारत का हित इससे किस प्रकार प्रभावित होता है ?

बिलकिस बानो को सर्वोच्च न्याय : स्वतंत्रता का अधिकार बनाम कानून का शासन

सामान्य अध्ययन : भारतीय संविधान – ऐतिहासिक आधार, संविधान – संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 72 और 161, सीआरपीसी की धारा 432, धारा 433 (A), भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो न्यायालय, आजीवन कारावास, लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ, गुजरात राज्य सरकार की छूट – नीति।

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई का फैसला निरस्त कर दिया है । मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिलकिस बानो को न्याय पाने के लिए अलग-अलग चरणों में चार बार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिलकर काम किया और उनके पक्ष में माफी के आदेश पारित करने के साथ ही दोषियों के साथ मिलीभगत करते हुए दोषियों को छूट दी, जो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुकदमे को मुंबई में स्थानांतरित करने के सर्वोच्च न्यायालय के पहले के आदेशों को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने अपनी एक अन्य पीठ के 13 मई, 2022 के आदेश को भी निष्प्रभावी कर दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले में हत्या और बलात्कार के सभी 11 दोषियों को छूट दिए जाने को **'असाधारण तरह का अन्याय'** बताया था।

भारत में न्यायालय द्वारा किसी दोषी को सजा दिए जाने के बाद माफ़ी दिए जाने का वर्तमान कानूनी प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत , राष्ट्रपति और राज्यपालों को अदालतों द्वारा पारित सजा को माफ करने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्राप्त है।
- भारतीय संविधान के अनुसार जेल राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत सजा माफ करने का अधिकार है।
- भारत में सीआरपीसी की धारा 433 (A) छूट की इन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है: **"जहां किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मौत कानून द्वारा प्रदान की गई सजा में से एक है, या जहां एक सजा है। किसी व्यक्ति पर लगाई गई मृत्यु को धारा 433 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया हो तो , ऐसे व्यक्ति को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम चौदह वर्ष कारावास की सजा न दी गई हो।"**
- कैदियों को अक्सर प्रमुख नेताओं की जयंती और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर रिहा किया जाता है।

अनियंत्रित विवेक :

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामला अनियंत्रित विवेक का एक उदाहरण है। इसके अति-रिक्त, ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि किसी भी दोषी को न्यायालय द्वारा दी गई सजा में छूट के आदेश की न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जाती है, जब वह

अपनी वैचारिक शक्ति का वहां उपयोग नहीं करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि – , **"यदि कानून का उल्लंघन न्यायिक जांच का विषय नहीं है, तब कानून और कानून की बात खोखले शब्दों की तरह होंगे।"**
- भारत में जेल राज्य का विषय है, जिसके लिए हर राज्य के जेल नियम कुछ सुधारात्मक और पुनर्वास से जुड़ी बातों की पहचान करते हैं, जिनका उपयोग कैदी छूट पाने करने के लिए कर सकते हैं।
- छूट में अर्जित दिनों की कुल संख्या अदालत के द्वारा दी गई सजा में से घटा दी जाती है। वहीं, माफी इस तर्क में छुपी है कि आखिरकार जेलों का मतलब सिर्फ बदले की सजा देने का एक तरीका न हो बल्कि पुनर्वास उसकी जगह ले।
- आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों के संदर्भ में भी, छूट के लिए आवेदन करने के लिए दोषियों को अनिवार्य रूप से कम से कम 14 साल जेल में गुजारने होते हैं। इसके बावजूद भी किसी भी तरह के छूट के लिए किया गया कोई भी आवेदन यह गारंटी नहीं देता है, और कोर्ट द्वारा तय की गई सजा के खिलाफ छूट की भरपाई नहीं करता है।

बिलकिस बानो गैंग रेप और हत्या मामले से जुड़े महतवपूर्ण तथ्य :

उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर करना :

- गुजरात राज्य के गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को ट्रेन जलाने की घटना के संदर्भ में 28 फरवरी, 2002 एवं उसके कुछ दिनों बाद तक गुजरात में बड़े पैमाने पर हुए दंगों के दौरान हुए जघन्य अपराधों के दोषी पाए गए 11 दोषियों के परिहार और शीघ्र रिहाई प्रदान करने के संबंध में, 10 अगस्त, 2022 के गुजरात राज्य के आदेशों की आलोचना के क्रम में उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की गईं थी ।

उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका में उल्लिखित तथ्य :

- उच्चतम न्यायालय में दायर वह याचिका बिलकिस याकूब रसूल जो उस समय गर्भवती थी के साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार करने से संबंधित थी।
- उस याचिका में यह जिक्र था कि याचिकाकर्त्ता की माँ के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तथा उसकी चचेरी बहन जिसने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, के साथ भी सामूहिक बलात्कार किया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई थी।
- याचिकाकर्त्ता की चचेरी बहन के दो दिन के शिशु सहित आठ अवयस्कों की भी हत्या कर दी गई थी।
- याचिकाकर्त्ता की तीन वर्ष की बेटी की पत्थर में सिर मारकर हत्या कर दी गई, उसके दो अवयस्क भाई, दो अवयस्क बहनें, उसके फुफा, फुपी (बुआ), मामा और तीन अन्य कज़िन सभी की हत्या कर दी गई थी।
- 21 जनवरी, 2008 को भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) न्यायालय ने एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार, हत्या और विधि – विरुद्ध सभा की साज़िश रचने के आधार पर 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी।

न्यायालय के समक्ष दायर अन्य याचिकाएँ :

- सुभाषिनी अली बनाम गुजरात राज्य (2022), डॉ. मीरान चड्ढा बोरवणकर बनाम गुजरात राज्य (2002), नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (NFIW) बनाम गुजरात राज्य (2022), महुआ मोइत्रा बनाम गुजरात राज्य (2022), अस्मा शफीक शेख बनाम गुजरात राज्य (2022) और 10 अगस्त, 2022 को गुजरात सरकार के आदेश के खिलाफ स्वयं पीड़िता के नाम पर कई याचिकाएँ दायर की गईं।

बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में क्या – क्या मुद्दे शामिल थे ?

1. क्या गुजरात राज्य सरकार परिहार के आक्षेपित आदेश पारित करने में सक्षम थी ?
2. क्या परिहार के आदेश विधि के अनुरूप थे ?

याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दिया गया तर्क क्या – क्या थे ?

महाराष्ट्र न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि :

- याचिकाकर्त्ताओं ने कहा कि एक बार महाराष्ट्र राज्य में एक सक्षम न्यायालय ने अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया

और उन्हें दोषी ठहराया, तो वह राज्य 'समुचित सरकार' है।

- 11 दोषियों के संबंध में गुजरात राज्य द्वारा पारित परिहार के आदेश गुजरात राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर और अनाधिकृ हैं तथा इस प्रकार, यह पारित परिहार रद्द किए जाने योग्य हैं।

माफ़ी नीति (REMISSION POLICY) 1992 :

- मौजूदा मामले में 'उचित सरकार' महाराष्ट्र राज्य है, इसलिए याचिकाकर्त्ता ने प्रस्तुत किया कि बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में महाराष्ट्र राज्य की माफ़ी नीति / रेमिशन पॉलिसी ही लागू होगी।
- बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में गुजरात राज्य द्वारा की गई दिनांक 09 जुलाई, 1992 की रेमिशन पॉलिसी पूरी तरह से अप्रयोज्य एवं अप्रभावी है ।
- बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को दी गई परिहारों के लिए गुजरात राज्य की 1992 की माफ़ी नीति / रेमिशन पॉलिसी लागू की गई थी क्योंकि बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में निर्णय के परिहार के समय गुजरात की 2014 की माफ़ी नीति / रेमिशन पॉलिसी लागू नहीं हुई थी।
- गुजरात सरकार की 1992 की माफ़ी नीति /रेमिशन पॉलिसी ने बलात्कार के दोषियों को परिहार का लाभ पाने से वंचित नहीं किया था।

इस प्रमुख प्रतिवाद के विरूद्ध गुजरात राज्य का तर्क क्या था ?

- गुजरात राज्य ने अपने शपथ-पत्र में कहा कि यदि समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर विचार के समय दोषी के लिए लाभकारी नीति मौजूद है, तो दोषी को ऐसी लाभकारी नीति से वंचित नहीं किया जा सकता है और परिहार के आदेश की न्यायिक समीक्षा कानून में स्वीकार्य नहीं है।

भारत के उच्चतम न्यायालय का बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या पर दिए गए निर्णय का निष्कर्ष क्या है ?

समुचित और उपयुक्त सरकार को तय करने की जिम्मेवारी :

- बिलकिस बानो मामले में गुजरात राज्य ने यह कहते हुए उक्त आदेश की समीक्षा के लिए यदि एक आवेदन दायर किया होता कि वह "समुचित सरकार" नहीं थी, बल्कि महाराष्ट्र राज्य "समुचित सरकार" थी, तो आगामी मुकदमेबाज़ी उत्पन्न ही नहीं होती।
- 13 मई, 2022 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सुधार की मांग करने वाली कोई भी समीक्षा याचिका दायर करने के अभाव में, गुजरात राज्य ने महाराष्ट्र राज्य की शक्ति छीन ली है और परिहार के आक्षेपित आदेश पारित कर दिये हैं, जो न्यायालय के विचार से कानून में अमान्य हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 को दिया गया निर्णय अमान्य घोषित :

- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 को दिए गए अपने ही निर्णय को अमान्य घोषित करना पड़ा है क्योंकि उक्त आदेश तात्त्विक तथ्यों को छिपाकर और साथ ही तथ्यों की गलत प्रस्तुति करके मांगा गया था और इसे, धोखाधड़ी से उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा परिहार के लाभार्थियों को दो सप्ताह के भीतर जेल में आत्मसमर्पण करवाने का

निर्णय :

- गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले के दोषियों को उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्तमान निर्णय के आलोक में परिहार के लाभार्थियों को दो सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारत में न्यायालयों द्वारा पारित सजा को माफ करने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में राष्ट्रपति और राज्यपालों को अदालतों द्वारा पारित सजा को माफ करने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति प्राप्त है।
2. जेल राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत सजा माफ करने का अधिकार है।
3. भारत में कैदियों को अक्सर प्रमुख नेताओं की जयंती और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर रिहा किया जाता है।
4. भारत में किसी व्यक्ति पर लगाई गई मृत्यु को धारा 433 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया हो तो , ऐसे व्यक्ति को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम चौदह वर्ष कारावास की सजा न दी गई हो।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) इनमें से कोई नहीं।
(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q .1. भारत में सजायाफ्ता मुजरिमों या कैदियों की समयपूर्व रिहाई विवेकपूर्ण और कानूनसम्मत आधारों पर होनी चाहिए, कथन की समीक्षा बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों की सजा में छूट देने के आलोक में कीजिए।

वर्तमान भू – राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत – बांग्लादेश संबंध : अवसर और चुनौतियाँ

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।
सामान्य अध्ययन – अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत – बांग्लादेश संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, रोहिंग्या शरणार्थी, वन बेल्ट वन रोड पहल, मिशन इंसानियत।

खबरों में क्यों ?

- वर्ष 2024 के जनवरी महीने में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए आम – चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी **'अवामी लीग'** को बड़ी जीत मिली है। कुल 299 सीटों में से अवामी लीग ने 222 सीटें जीती हैं। दूसरे बड़े राजनीतिक दल 'जातीय पार्टी' को सिर्फ 11 सीटें मिलीं। 65 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बांग्लादेश में किसी भी बहुनत प्राप्त दल / दलों को सरकार बनाने के लिए 151 सीटों की जरूरत होती है।
- चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 14 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है, जिनमें से 12 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ' अल्पसंख्यक धर्म / समुदाय कि श्रेणी में आते हैं। इस आम चुनाव से दूर रही मुख्य विपक्षी पार्टी **'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP)'** ने इस चुनावी जीत को को खारिज कर दोबारा से मतदान करने / चुनाव करने की मांग की है।
- आम चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को कहा कि –

' **भारत बांग्लादेश का एक 'घनिष्ठ मित्र' है और दोनों पड़ोसियों ने द्विपक्षीय रूप से कई समस्याओं का समाधान किया है।'**

- प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली **'अवामी लीग पार्टी'** ने इस आम चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है।
- सन 1971 ई. में भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश के उद्भव और उदय में एक महान भूमिका निभाई थी। भारत बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था।
- बांग्लादेश मुक्ति दिवस, 16 दिसंबर को भारत में **" विजय दिवस "** के रूप में मनाया जाता है।
- भारत – बांग्लादेश संबंधों के अनूठे संबंध इनके आपसी साझा बलिदानों से निर्मित हुए हैं।
- भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत – बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति को **'सोनाली अध्याय' (सुनहरा चरण)** कहा था।

बांग्लादेश की संसद :

- बांग्लादेश में एक संसद है जिसे **'जातीय संसद'** या **"हाउस ऑफ द नेशन"** कहा जाता है। इस संसद में 350 सदस्य होते हैं। इन 350 सदस्यों में से 300 सदस्य वोटिंग(मतदान) के माध्यम से चुने जाते हैं जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित वोट शेयर के आधार पर बांटी जाती है। बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को 151 सीटों पर जीत दर्ज करना जरूरी होता है और यहाँ **हर पांच साल में संसदीय चुनाव होते हैं।**

बांग्लादेश का इतिहास :

- सन 1947 ई. से पहले बांग्लादेश, भारत का ही हिस्सा था। उस समय बांग्लादेश को **' ईस्ट बंगाल (पूर्वी बंगाल)'** कहा जाता था। भारत पाकिस्तान के विभाजन के 8 साल बाद यानी साल 1955 में पूर्वी बंगाल के नाम को बदलकर **'पूर्वी – पाकिस्तान'** रख दिया गया था। सन 1971 के भारत – पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद **' पूर्वी – पाकिस्तान ' ' बांग्लादेश'** नामक स्वतंत्र देश बना। उस समय बांग्लादेश की सत्ता **'अवामी लीग पार्टी'** के हाथों में आई और **शेख मुजीबुर रहमान** बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री भी बने। उन्हें **'बांग्लादेश का संस्थापक'** भी कहा जाता है। **शेख मुजीबुर रहमान 17 अप्रैल 1971 से लेकर 15 अगस्त 1975 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे,** लेकिन बाद में उनकी हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद **'अवामी लीग पार्टी'** की बागडोर उनकी बेटी शेख हसीना ने संभाली थी। साल 1981 में शेख हसीना **'आवामी लीग पार्टी'** की नेता चुनी गईं। उन्होंने साल 1996 से 2000 और 2008 से 2013 तक दो बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। साल 2014 के चुनाव में जब विपक्षी दल ने चुनाव लड़ने से बहिष्कार कर दिया था, उस वक्त भी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थी। सन 1971 ई. में पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के बाद बांग्लादेश में अभी तक 12 आम चुनाव हो चुके हैं।

भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा मुद्दे :

- भारत – बांग्लादेश का आपसी संबंध परंपरा, संस्कृति, भाषा और आपसी मूल्यों जैसे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अन्य समानताओं में निहित हैं। सन 1947 से सन 1971ई. तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। यह

ब्रिटिश भारत के ' **बंगाल और असम के विभाजित क्षेत्रों** ' से बना था। इस क्षेत्र के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व , प्रभुत्व और उर्दू भाषा को थोपने का विरोध करना शुरू कर दिया था। समकालीन विश्व राजनीति में उन्होंने बंगाली संस्कृति और भाषा के अनुचित व्यवहार के खिलाफ विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। वहां के नागरिकों ने वहां की सरकार में अपना समान प्रतिनिधित्व और अपनी राजनीतिक शक्ति के उचित हिस्से की भी मांग की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि शेख मुजीबुर्रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तानी प्रभुत्व के लोकप्रिय प्रतिरोध का नेतृत्व किया था।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व :

- वर्तमान ' **भू-राजनीतिक दृष्टिकोण**' से ' **बांग्लादेश** ' भारत के लिए कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के साथ आपसी संबंधों में लापरवाही बरतना भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है, जो लगभग 4,096 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके साथ – ही – साथ **बांग्लादेश भारतीय राज्यों असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इन दोनों देशों के बीच में स्थित एक समुद्री सीमा भी है ।** भारत के साथ बांग्लादेश कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम भी कर रहा है।
- बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति भी **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। बांग्लादेशी नौसेना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि संचार के समुद्री चैनल समुद्री व्यापार के लिए समुद्री लुटेरों और अन्य खतरों से मुक्त रहें।
- **बांग्लादेश भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए प्रवेश द्वार (प्रवेश – बिंदु) भी है।** इस तरह के महत्वपूर्ण पहलों से भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी । बांग्लादेश भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है।
- **भू-राजनीतिक:** बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और एक लंबी भूमि, नदी और समुद्री सीमा साझा करता है। यह इसे भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण के लिए, ' **चीनी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** का मुकाबला करने के लिए भारत को बांग्लादेश से सहयोग की आवश्यकता है।
- **आर्थिक:** भारत-बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंध हैं। भारत बांग्लादेश के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। उदाहरण के लिए, 2021-2022 में द्विपक्षीय व्यापार 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **सांस्कृतिक:** भारत और बांग्लादेश का साझा इतिहास, संस्कृति और विरासत है। दोनों देशों के लोग मजबूत सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं और बांग्लादेश में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है।
- **रणनीतिक:** बांग्लादेश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के चौराहे पर स्थित है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है ।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** बांग्लादेश और भारत सीमा पार नदियों और पारिस्थितिक प्रणालियों को साझा करते हैं, जिससे दोनों देशों के लिए जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों पर सहयोग करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुंदरवन के संरक्षण के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

वर्तमान भू – राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत – बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियाँ :
भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान समय में निम्नलिखित अड़चनें और चुनौतियाँ हैं –
बांग्लादेश का चीन फैक्टर :

- चीन बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए – बीआरआई और चटगांव बंदरगाह के निर्माण में चीन अपना निवेश बढ़ा रहा है। बांग्लादेश के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बंगबंधु संचार उपग्रह सहित 25 से अधिक ऊर्जा परियोजनाओं को चीन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कई बंदरगाह विकास परियोजनाएं चल रही हैं। चीन की **'वन बेल्ट वन रोड पहल'** ने बांग्लादेश को भी उलझा दिया है, और चीन की निकटता भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंताओं का कारण बनती जा रही है।

रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या :

- बांग्लादेश लगभग 11 मिलियन रोहिंग्या मुसलमानों का घर है। म्यांमार में आये आपदा ने वहां के नागरिकों को प्रस्थान और प्रवासन के लिए प्रेरित किया है। भारत का म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और वह

ऐसी स्थिति में आपसी रिश्तों को खतरे में नहीं डालना चाहता है। मानवीय सहायता अभियान के तहत **'मिशन इंसानियत'** को चलाने के अलावा, भारत का इस संघर्ष को सुलझाने में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। परिणाम-स्वरूप, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण विचलन आया है। फलतः भारत और बांग्लादेश के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण अंतर आया है।

अवैध घुसपैठ और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा :

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने हाल ही में बांग्लादेश के तस्करों और अवैध प्रवासियों को निशाना बनाकर मार गिराया है। बांग्लादेश में, इससे सार्वजनिक आक्रोश फैल गया और **'बांग्लादेश राइफल्स'** ने उकसावे में बीए-सएफ से जुड़े भारतीय सेना के सदस्यों को गोली मार दी। अनेक रक्षा विशेषज्ञों ने इस वर्तमान घटना को कट्टर धार्मिक संगठन आईएसआई के प्रभाव में बांग्लादेशी सेना के धार्मिक सिद्धांत या धार्मिक अंधभक्तता से प्रेरित होने से जोड़ा है।

भारत – बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद :

- सन 2011 ई. में दोनों देशों में आपसी समझौता के तहत नदी के जल प्रवाह को न्यूनतम रखने के लिए एक समझौता किया गया, उस समझौते के अनुसार भारत को 42.5% पानी, बांग्लादेश को 37.5% और शेष 20% नदी के जल प्रवाह को मुक्त करने का अधिकार दिया गया। कुछ असहमतियों के कारण, यह समझौता अब तक लागू नहीं किया जा सका है।
- तीस्ता नदी, गंगा नदी की एक सहायक नदी है और यह नदी बंगाल और बांग्लादेश से होकर गुजरने से पहले सिक्किम से शुरू होती है। नदी के जल में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की है।
- बांग्लादेश पहले से प्राप्त जल राशि से भी और अधिक महत्वपूर्ण अनुपात में जल – राशि भारत से चाहता है।
- बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी सीमा पार नदी तीस्ता नदी है।
- बांग्लादेश में, तीस्ता बाढ़ क्षेत्र में सिंचाई और मछली पकड़ने के लिए 2,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है।
- इस नदी का 83 प्रतिशत जलक्षेत्र – भूमि क्षेत्र जहां पानी जमा होता है – भारत में है, जबकि 17 प्रतिशत बांग्लादेश में है।
- तीस्ता नदी विवाद में संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय जलविद्त है।
- इस नदी पर कम से कम 26 परियोजनाएँ संचालित हैं, जिनमें से अधिकांश भारत सिक्किम राज्य में स्थित है। दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी जल – विवाद आपसी साझेदारी पर कहर ढाने का महत्वपूर्ण कारण है।

भूराजनीतिक चुनौतियाँ :

- भारत-बांग्लादेश संबंध आम तौर पर सौहार्दपूर्ण रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सीमा विवाद जैसी कुछ भूराजनीतिक चुनौतियाँ:भी शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच विशेष रूप से असम और त्रिपुरा के क्षेत्रों में साझा सीमा के सीमांकन पर लंबे समय से विवाद चल रहा है ।

अवैध आप्रवासन :

- बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के निवासियों को प्रवासियों की महत्वपूर्ण आमद के परिणामस्वरूप पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जिससे भारत में बांग्लादेशी सीमा के पार प्रवासियों का अवैध प्रवासन और अनवरुद्ध प्रवाह ने दोनों देशों के बीच के आपसी संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है।

बुनियादी अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी :

- अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचनात्मक ढांचे और कनेक्टिविटी, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विकास में बाधा बन रही है। फलतः बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात नहीं है। 4,096 किमी लंबी भूमि सीमा और 180 किमी लंबी समुद्री सीमा भारत को बांग्लादेश से अलग करती है। कोमिला-त्रिपुरा भूमि सीमा, जो 6.5 किलोमीटर तक फैली हुई है, का सीमांकन नहीं किया गया है, जिससे सीमा विवाद अनसुलझा हुआ है और दोनों देशों के बीच अभी भी कनेक्टिविटी चुनौतियाँ बरक़रार है ।

आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाली चुनौतियाँ :

भारत और बांग्लादेश के बीच गैर-टैरिफ बाधाएं : **भारत और बांग्लादेश** दोनों ही देशों के बीच एक – दूसरे को गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लंबी सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और नौकरशाही लालफीताशाही, जिसने दोनों ही देशों के बीच होने वाले व्यापार में बाधा उत्पन्न किया है, जिसे अत्यंत जल्द ठीक करने और तर्कसंगत बनाने कि जरूरत है।

सुरक्षा चुनौतियाँ :

- **आतंकवाद :** भारत ने बांग्लादेश स्थित आतंकवादी समूहों पर भारत में हमले करने का आरोप लगाया है और बांग्लादेश को आतंकवाद से निपटने में भारत को और अधिक सहयोग देने का आह्वान किया है।
- **उग्रवाद:** रक्षा विशेषज्ञ सूत्रों के अनुसार, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा सभी बांग्लादेश में शिविर चलाते हैं।
- भारत के पास इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि उल्फा के पास बांग्लादेश में कई सफल आय-सृजन उद्यम हैं जिसका उपयोग वह भारत में अपने उग्रवादी / विद्रोही अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए करता रहता है।

ऊर्जा चुनौतियाँ :

फरक्का बैराज विवाद:

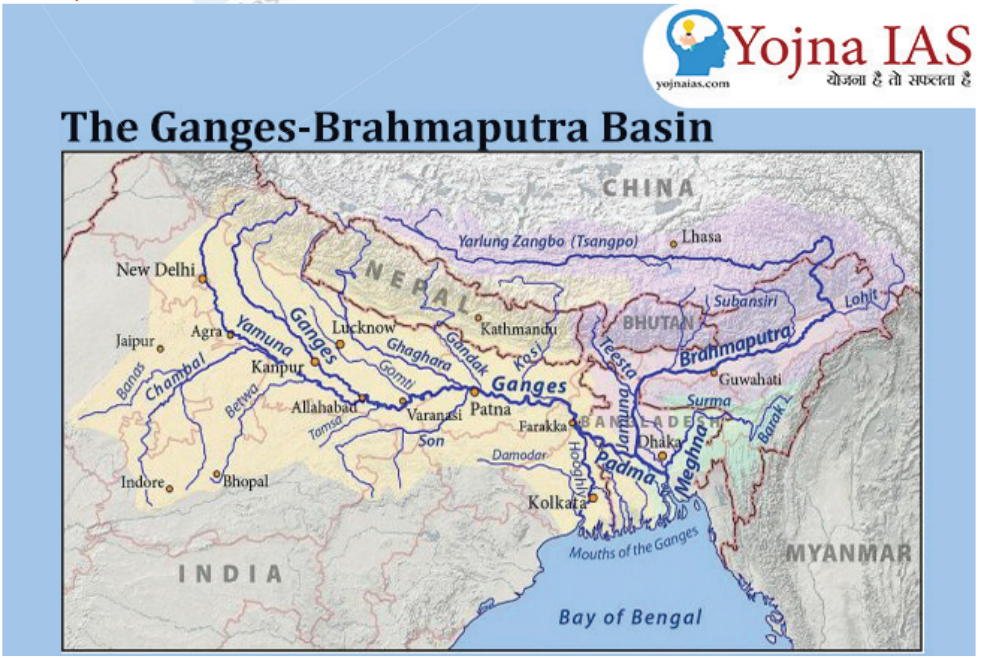

- गंगा से हुगली नदी में पानी का मोड़ बांग्लादेश द्वारा अतीत में कई बार उठाई गई चिंता का एक प्रमुख कारण रहा है जिसका दोनों ही देशों को आपस में त्वरित समाधान खोजना चाहिए।
- भारत और बांग्लादेश के बीच ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जल के वितरण पर भी तनाव अभी तक बरक़रार है ।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

भारत-बांग्लादेश संबंधों के बीच अनसुलझे और विवादित वर्तमान मुद्दों को निम्नलिखित माध्यमों से हल किया जा सकता है –

- **तीस्ता नदी जल विवाद काआपस में समाधान करना :** भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों को आपसी सम-झबूझ से तीस्ता नदी जल बंटवारे की सीमा का आपस में ही सीमांकन करने और समयबद्ध तरीके से आपसी समझौते पर पहुंचने की दिशा में आम सहमति स्थापित करना चाहिए।
- **बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने की दिशा में बढ़ना :** भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों को अपनी समुद्री या तटीय कनेक्टिविटी, सड़क मार्ग, रेलमार्ग और अंतर्देशीय जलमार्गों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करके एक मजबूत और स्थायी संचार और संवहनीय मार्गों को बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा :** संपूर्ण विश्व में जैसे – जैसे वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग करने में सहयोग करें।
- **भारत – बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन :** जो भारत से उत्तरी बांग्लादेश तक हाई-स्पीड डीजल ले जाने में मदद करेगी, उसे और मजबूत करने की जरूरत है।
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) वार्ता की ओर ध्यान केंद्रित करना :** 2018 से शुरू हुए भारत – बांग्लादेश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) वार्ता की ओर ध्यान केंद्रित कर भारत और बांग्लादेश के बीच के आपसी आर्थिक संबंध और मजबूत करने होंगे जिससे भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे।
- **चीन का मुकाबला :** महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और वित्तीय सहायता के साथ बांग्लादेश की सहायता करने से भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे और भारत को चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
- **शरणार्थी संकट से निपटना :** भारत और बांग्लादेश **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)** के अन्य देशों को शरणार्थियों पर एक सार्क घोषणा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिसमें शरणार्थियों और आर्थिक प्रवासियों की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने की घोषणा किया जाए।
- वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की काफी गुंजाइश है। सहयोग और समेकन कनेक्शन की नींव होनी चाहिए। प्रगति के लिए शांति सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। नतीजतन, शांतिपूर्ण, सुरक्षित और अपराध मुक्त सीमा प्रदान करने के लिए सक्षम सीमा प्रबंधन की आवश्यकता है।
- बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग इसकी ताकत है, जो इसे अपनी प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखने में मदद करता है।
- भारत के बड़े घरेलू बाजार के कारण किसी भी देश की ओर भारत का झुकाव महत्वपूर्ण होगा, जिससे निर्यातक देश को फायदा होगा।
- भारत को अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करना चाहिए और एक मित्र राष्ट्र के उद्योग को रणनीतिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वर्तमान भू – राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत – बांग्लादेश संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी का नाम 'अवामी लीग' है जिसने 2024 के आम चुनाव में 222 सीटें जीती है।
2. बांग्लादेश मुक्ति दिवस, 16 दिसंबर को भारत में " विजय दिवस " के रूप में मनाया जाता है।
3. शेख मुजीबुर रहमान को ' बांग्लादेश का संस्थापक ' भी कहा जाता है।
4. भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत – बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति को 'सोनाली अध्याय'

(सुनहरा चरण) कहा था।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B)केवल 2, 3 और 4
(C) इनमें से कोई नहीं।
(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वर्तमान भू – राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत – बांग्लादेश संबंध के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत – बांग्लादेश के बीच के आर्थिक , राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंधों की व्याख्या कीजिए।

भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का बढ़ता उपयोग

स्त्रोत्र – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन : एक व्यापक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC),भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)।

ख़बरों में क्यों ?

- **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control- NCDC)** ने हाल ही में भारत में **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance- AMR)** के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच,अपने एक सर्वेक्षण में भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के संबंध में कई प्रमुख निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। **भारत विश्व में एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।** भारत में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग से बैक्टीरिया के भीतर पहले कभी नहीं देखा गया शक्तिशाली उत्परिवर्तन हो रहा है।

इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष :

भारत में एंटीबायोटिक्स का रोग – निवारक के रूप में उपयोग :

- इस सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में रोग – संक्रमण के इलाज के लिए आधे से अधिक रोगियों **(55%)** को चिकित्सीय उद्देश्यों **(45%)** के बजाय रोगनिरोधी संकेतों हेतु एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने की सलाह दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य संक्रमण को रोकना था।

भारत में एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन प्रारूप :

- भारत में केवल कुछ ही **रोगियों (6%)** को उनकी बीमारी की चिकित्सा के लिए कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया के

निदान के लिए एंटीबायोटिक्स दिए गए थे, जबकि अधिकांश मामलों में **(94%)** बीमारी के संभावित कारण में डॉक्टर के नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर अनुभवजन्य चिकित्सा पर थे।

भारत में विशिष्ट नैदानिक चिकित्सा प्रणाली का अभाव :

- इस सर्वेक्षण में पाया गया कि संक्रमण के कारण के सटीक ज्ञान के बिना एंटीबायोटिक दवाओं के प्रचलित उपयोग 94% रोगियों को निश्चित चिकित्सा निदान की पुष्टि होने से पहले एंटीबायोटिक्स दी गई जो भारत में विशिष्ट नैदानिक चिकित्सा प्रणाली का अभाव को दर्शाता है।

अस्पतालों में भिन्नता :

- अस्पतालों में एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन दरों में व्यापक भिन्नताएँ पाई गई थीं, 37% से लेकर 100% रोगियों को एंटीबायोटिक्स निर्धारित किये गए थे।
- निर्धारित एंटीबायोटिक दवाओं का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात **(86.5%) पैरेंट्रल मार्ग (मौखिक रूप से नहीं)** के माध्यम से दिया गया था।

AMR के चालक:

- अपने सर्वेक्षण में NCDC द्वारा कहा गया है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास के लिए मुख्य कारकों में से एक **एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनुचित उपयोग** है।

एंटीबायोटिक्स और औषधि प्रतिरोध : एक परिचय –

- एंटीबायोटिक बैक्टीरिया (जीवाणु) को मार कर उसके विकास को रोक देता है। यह बीमारी को फ़ैलने से रोकने वाले यौगिकों का एक व्यापक समूह होता है, जिसका उपयोग सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने कवक और प्रोटोजोवा सहित बैक्टीरिया, फ़फूंदी तथा अन्य परजीवीयों के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिए होता है।
- एंटीबायोटिक्स ऐसी उल्लेखनीय दवाएं हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना किसी के शरीर में जैविक जीवों को मारने में सक्षम हैं।
- इनका उपयोग सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने से लेकर कीमोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगियों की सुरक्षा तक हर चीज के लिए किया जाता है।

एंटीबायोटिक्स को उसके कार्य या प्रभाव के कारण दो समूहों में बाँटा जाता है –
जीवाणुनाशक एजेंट।
बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट।

- जो जीवाणुओं को मारते हैं, उन्हें **'जीवाणुनाशक एजेंट'** कहा जाता है। और
- जो जीवाणु के विकास को दुर्बल करते हैं, उन्हें **'बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट'** कहा जाता है।
- पेनिसिलिन जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है। यह जीवाणु के कोशिका – दीवार पर या कोशिका झिल्ली पर वार करता है। **एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल के नाम से भी जाना जाता है।**
- मनुष्य के शरीर के रोग-प्रतिरोधक तंत्र में बैक्टीरिया के कारण हुए संक्रमण को दूर करने के गुण पाए जाते हैं, किन्तु बैक्टीरिया का आक्रमण कभी-कभी इतना अधिक हो जाता है कि संक्रमण को दूर करना मनुष्य के शरीर के रोग-प्रतिरोधक तंत्र (इम्यून सिस्टम) की क्षमता के बाहर हो जाता है। ऐसे संक्रमण से बचने के लिए मनुष्य को बाहर से दवा के रूप में एंटीबायोटिक लेना पड़ता है।
- **संपूर्ण विश्व में भारत जेनेरिक दवाओं (generic drugs) की वैश्विक मांग के लगभग 20% की पूर्ति करता है।** अतः भारत फार्मास्युटिकल उत्पादों का सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। **भारत विश्व में जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology) के लिए शीर्ष 12 प्रमुख संस्थानों / स्थानों में से एक है। भारत एशिया-प्र-शांत क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के मामले में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है।**
- विश्व के विकासशील देशों में लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और सस्ती दवाओं तक पहुँच में भारत के फार्मा उद्योग ने दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कभी – कभी भारत के फार्मा उद्योग को गुणवत्ताहीन, दूषित या हानिकारक दवाओं के उत्पादन के विभिन्न आरोपों और घटनाओं का भी सामना करना पड़ा है, जिसके कारण श्रीलंका, गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि कई देशों के रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और बहुत रोगियों कि मौतें भी हुईं है।
- भारतीय फार्मा उत्पादों की **गुणवत्ता एवं सुरक्षा/ अहानिकारकता (Quality and Safety)** जैसे मानकों एवं

मानदंडों (Standards and Norms) के अनुपालन को सुनिश्चित करने में भारतीय दवा नियामक की **भूमिका एवं प्रभावशीलता** के संदर्भ में इन घटनाओं ने **गंभीर चिंताओं को जन्म दिया** है।

दवा प्रतिरोधक क्षमता :

- दवा प्रतिरोध तब होता है जब कोई मनुष्यों, जानवरों के साथ-साथ पौधों के इलाज में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है ।
- एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीवन के किसी भी चरण में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है, तो न केवल उस रोगी का इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया अन्य लोगों में भी फैल सकता है।
- जब एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में रोगी की स्थिति और अधिक जटिल बीमारियों, मजबूत और महंगी दवाओं के उपयोग और धीरे-धीरे जीवाणु संक्रमण के कारण अधिक मौतों का कारण बन सकती है।
- दुनिया भर में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का प्रसार जीवाणु संक्रमण से लड़ने में दशकों की प्रगति को कमजोर कर रहा है।

निष्कर्ष के परिणाम :

- एंटीबायोटिक सहायक गैर – एंटीबायोटिक यौगिक हैं जो प्रतिरोध को अवरुद्ध करके या संक्रमण के प्रति मेजबान प्रतिक्रिया को बढ़ाकर एंटीबायोटिक गतिविधि को बढ़ाते हैं।
- वैज्ञानिकों ने ट्रायमीन / ट्राईमाइन, एक यौगिक समूह होता है और जिसमें तीन अमीनो समूह शामिल होते हैं को ट्राईमाइन युक्त यौगिक में चक्रीय हाइड्रोफोबिक मोएटीज़ (एक अणु का भाग) को शामिल किया, इस प्रकार विकसित सहायक बैक्टीरिया की झिल्ली को कमजोर रूप से परेशान करते हैं।
- एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध विभिन्न प्रकार के आणविक तंत्रों के माध्यम से होता है, जिसमें दवा की पारगम्यता में कमी, सक्रिय प्रवाह, दवा लक्ष्य में परिवर्तन या बाईपास, एंटीबायोटिक-संशोधित एंजाइमों का उत्पादन, और बायोफिल्म जैसी शारीरिक स्थितियां शामिल हैं जो एंटीबायोटिक गतिविधि के प्रति कम संवेदनशील होती हैं।
- इफ्लक्स पंप इंट्रासेल्युलर एंटीबायोटिक सांद्रता को कम करते हैं, जिससे बैक्टीरिया उच्च एंटीबायोटिक सांद्रता में जीवित रह पाते हैं।
- जब इन सहायकों का उपयोग उन एंटीबायोटिक दवाओं के साथ संयोजन में किया जाता है जो ऐसे झिल्ली-संबंधित प्रतिरोध तत्वों के कारण अप्रभावी हो गए थे, तो एंटीबायोटिक्स शक्तिशाली हो जाते हैं, और संयोजन बैक्टीरिया को मारने में प्रभावी होता है।

वैज्ञानिक अध्ययन का महत्व :

- इस अध्ययन में पाया गया कि यह एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के सबसे महत्वपूर्ण समूह का मुकाबला कर सकती है जिससे मौजूदा एंटीबायोटिक के जटिल संक्रमणों के लिए फिर से उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सकता है। **यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर)** के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने में मदद कर सकता है।
- यह अप्रचलित एंटीबायोटिक दवाओं की गतिविधि को मजबूत करने और जटिल संक्रमणों के इलाज के लिए उन्हें

वापस उपयोग में लाने में मदद कर सकता है।

भारत द्वारा औषधि प्रतिरोध से संबंधित महत्वपूर्ण पहल :

- **एएमआर रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम :** वर्ष 2012 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत, राज्य मेडिकल कॉलेज में प्रयोगशालाएं स्थापित करके एएमआर निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है।
- **एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना :** वर्ष अप्रैल 2017 में लॉन्च किए गए यह एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है और विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- **एएमआर निगरानी और अनुसंधान नेटवर्क (एएमआरएसएन) :** इसे देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के साक्ष्य उत्पन्न करने और रुझानों और पैटर्न को पकड़ने के लिए 2013 में लॉन्च किया गया था।
- **एएमआर अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)** ने एएमआर में चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाएं/दवाएं विकसित करने की पहल की है।
- **एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम :** आईसीएमआर ने अस्पताल के वार्डों और आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए पूरे भारत में एक पायलट प्रोजेक्ट पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम (एएमएसपी) शुरू किया है।

वैश्विक स्तर औषधि प्रतिरोध से संबंधित महत्वपूर्ण पहल :

- **विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW) :** वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला WAAW एक **वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना** और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के विकास और प्रसार को धीमा करने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्य-कर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।
- **वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System – GLASS) :** WHO ने ज्ञान की कमी को पूरा करने और सभी स्तरों पर रणनी-तियों को सूचित करने के लिए 2015 में ग्लास लॉन्च किया। ग्लास की कल्पना मनुष्यों में एएमआर की निगरानी, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग की निगरानी, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण में एएमआर से डेटा को क्रमिक रूप से शामिल करने के लिए की गई है।

निष्कर्ष / समाधान :

- एंटीबायोटिक प्राणी जगत के लिए लिए एक वरदान है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कई जीवनरक्षक दवाएँ तो ऐसी हैं कि जिन्हें बिना एंटीबायोटिक के दिया ही नहीं जा सकता। यदि एंटीबायोटिक का प्रयोग ऐसे ही धड़ल्ले से होता रहा तो और भी नए-नए सुपरबग देखने को मिलेंगे और धीरे-धीरे हमें पूरी तरह से एंटीबायोटिक का प्रयोग बंद करना होगा। इस संबंध में वैश्विक प्रयास भी अपेक्षित है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के जिस अविष्कार के दम पर चिकित्सा विज्ञान आज इतना फला-फुला है वह वर्तमान समय की वैश्विक स्वास्थ्य जरूरतों से बहुत पीछे चला जाएगा।
- वर्ष 2012 में 'चेन्नई डिक्लेरेशन' में सुपरबग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिये व्यापक योजना बनाई गई जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई योजना में 30 ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात की गई थी जो एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे, लेकिन अभी तक केवल ऐसे 10 प्रयोगशालाओं का ही निर्माण हो पाया है। सरकार को सुपरबग से बचाव के उपाय खोजना होगा और इसके लिये अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना होगा।
- वर्तमान संमय में विश्वभर की कोई भी फार्मा कंपनी अगले 20 साल तक कोई भी नई एंटीबायोटिक दवा तैयार नहीं करने वाली है। एंटीबायोटिक के अधिक इस्तेमाल को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग को रोकने के लिये सरकार ने बिक्री योग्य दवाओं की नई सूची जारी कर उसके आधार पर ही दवा विक्रेताओं को दवा बेचने का निर्देश दिया है, लेकिन कहीं भी आसानी से एंटीबायोटिक का मिल जाना चिंताजनक है, अतः सरकार को अपने निगरानी तंत्र को और चौकस बनाना होगा, ताकि मनुष्य अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत और रोगमुक्त रह सकें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत विश्व में एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
2. एंटीबायोटिक्स ऐसी उल्लेखनीय दवाएं हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना किसी के शरीर में जैविक जीवों को मारने में असक्षम हैं।
3. अपने सर्वेक्षण में NCDC द्वारा कहा गया है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास के लिए मुख्य कारकों में से एक एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनुचित उपयोग है।
4. भारत जेनेरिक दवाओं (generic drugs) की वैश्विक मांग के लगभग 80% की पूर्ति करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 , 2 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1 और 3
(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (C)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. **चर्चा कीजिए कि भारत में डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और मुफ्त उपलब्धता, भारत में दवा प्रतिरोधी बीमारियों के उद्भव में क्या योगदान दे सकती है ? एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और मुफ्त उपलब्धता में शामिल विभिन्न मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।**

राजकोषीय समेकन : प्रत्यक्ष कर – संग्रह लक्ष्य की ओर बढ़ता भारत और मजबूत राजस्व – प्रणाली

स्त्रोत्र – द हिन्द , आर्थिक सर्वेक्षण 2022 – 23, बजट 2023 – 24 एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, प्रत्यक्ष कर, राजकोषीय घाटे का सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू , राजकोषीय समेकन।

ख़बरों में क्यों ?

- अभी वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक चौथाई से भी कम समय बचा है, किन्तु फिर भी केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में ही अपने प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य का लगभग **81%** पूरा कर लिया है। 10 जनवरी 2024 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के मुकाबले 14.7 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर प्रवाह एक साल पहले की तुलना में 19.4% अधिक है।
- राजस्व विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकारी खजाने की शुद्ध प्रत्यक्ष कर राशि बजट अनुमान ₹17.2 लाख करोड़ से लगभग एक लाख करोड़ से अधिक हो जाएगी और इस बार पूरे वर्ष की वृद्धि दर लगभग 18% रहेगी।
- वस्तु एवं सेवा कर – संग्रह प्रवाह के भी बजट गणित को मात देने की संभावना है और केंद्रीय बैंक के उदार लाभांश से गैर-कर राजस्व को बढ़ावा मिलेगा, उत्पाद शुल्क से अपेक्षाकृत कम खपत के बावजूद कुल राजस्व बजट की उम्मीदों से परे जाने की संभावना है।
- प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, कॉर्पोरेट करों में 12.4% की वृद्धि हुई है, जबकि व्यक्तिगत आय करों से 27.3% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है और यह विरोधाभास आने वाले वर्षों में भी जारी रह सकता है। इस मूल्यांकन वर्ष में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या रिकॉर्ड स्तर (31 दिसंबर तक 8.2 करोड़) तक पहुंच जाएगी। .
- स्वस्थ राजस्व वृद्धि और कर दाखिल करने के आधार का सराहनीय विस्तार सरकार की राजकोषीय समेकन की उम्मीदों को आगे बढ़ने में कुछ राहत प्रदान करता है, इस आशंका के बीच कि इस वर्ष सकल – घरेलू उत्पाद का 5.9% घाटा लक्ष्य में एक छोटा सा अंतर रह सकता है।
- यह कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों के लिए इसे और अधिक सरल बनाने पर ध्यान देने के साथ केंद्र के लिए कराधान में और अधिक सुधार करने की गुंजाइश भी बनाता है। उदाहरण के लिए – कंपनियों के लिए अनेक विदहोल्डिंग कर – दरें, जो अक्सर विवादों का कारण बनती हैं, को एक नहीं तो कुछ कम दरों तक कम किया जा सकता है।
- कर – कटौती और स्रोत पर संग्रह (टीडीएस और टीसीएस) दरों, जिसमें विदेशी खर्चों पर नज़र रखने के लिए बहु-विवादित लेवी भी शामिल है, को कुछ हद तक नीचे लाया जा सकता है और मौजूदा कर – दरों के बावजूद – कर अधिकारी उनसे खुफिया जानकारी प्राप्त करना जारी रख सकते हैं।
- कम – दरों और कागजी कार्रवाई के साथ नई छूट-रहित व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का चलन बढ़ रहा है। फिर भी, सरकार लोगों को सार्वजनिक नीति लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर जीवन विकल्पों के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ तंत्रों पर विचार कर सकती है जो वित्तीय बाजारों को भी गहरा कर सकते हैं और मैक्रो-बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत कर सकते हैं – उदाहरण के लिए सेवानिवृत्ति बचत और स्वास्थ्य बीमा को प्रोत्साहित करना।
- स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी लेवी पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए, भले ही जीएसटी दरों के व्यापक युक्तिकरण की प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि इसमें निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण

लागत शामिल है, जिससे उनके एक सदस्य के लिए भी स्वास्थ्य देखभाल संकट का खर्च उन्हें गरीबी में जाने का वास्तविक जोखिम का सामना करना पड़ता हैं।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि अंतरिम बजट 2024-25 में कोई शानदार कदम नहीं होगा, इसलिए 2019 के चुनाव पूर्व अभ्यास की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है कि आयकर स्लैब में फेरबदल किया जाए। लेकिन राजस्व उछाल से नीति – निर्माताओं को नई सरकार के विचार के लिए और अधिक सुधार विकल्प की ओर ध्यान रखने के लिए उत्साहित होना चाहिए।

उभरती अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय समेकन का महत्त्व :

- एक सरकार आमतौर पर **घाटे को कम करने के लिए कर्ज़ लेती है।** इसके बाद उसे कर्ज चुकाने के लिये अपनी कमाई का एक हिस्सा आवंटित करना होता है। राजकोषीय समेकन से तात्पर्य **राजकोषीय घाटे को कम करने के तरीकों और साधनों से है।** कर्ज़ बढ़ने के साथ ब्याज का बोझ बढ़ता है। वित्त वर्ष **2022 के बजट में 34.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल सरकारी व्यय में से 8.09 लाख करोड़ रुपए (लगभग 20%) से अधिक ब्याज के भुगतान में खर्च हो गया।**

केन्द्र सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की दिशा में उठाए गए प्रमुख पहल :

सब्सिडी में कमी करना :

- केंद्र सरकार ने **भोजन, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी हेतु आवंटित राशि को कम कर दिया** है।
- वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) में खाद्य सब्सिडी 2,87,194 करोड़ रुपए थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 1,97,350 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी 2,25,220 करोड़ रुपए (अनुमानित) थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 1,75,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोलियम सब्सिडी 9,171 करोड़ रुपए (अनुमानित) थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान) में घटाकर 2,257 करोड़ रुपए किया गया है।
- पिछले वर्ष की तुलना में सब्सिडी में कमी उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन यह अब भी वर्ष 2025-26 तक 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुँचने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

सकल घरेलू उत्पाद के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना :

- वर्ष 2023-24 के बजट में **पूंजीगत व्यय** को **सकल घरेलू उत्पाद के 3.3%** तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है और सरकार ने **विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 50 वर्षों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया है।

ऋण प्रबंधन में बदलाव :

- अधिकांश राजकोषीय घाटे को आंतरिक बाज़ार ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और एक छोटा

हिस्सा बचत, भविष्य निधि तथा बाहरी ऋण के बदले प्रतिभूतियों से आता है।

- वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में भारत का बाहरी ऋण कुल राजकोषीय घाटे का केवल 1% है, यह अनुमानतः 22,118 करोड़ रुपए है।
- **राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)** के 3.5% के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के लिए स्व-तंत्र हैं, जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए है।

राजकोषीय घाटा का तात्पर्य/ परिचय :

- किसी भी सरकार द्वारा प्राप्त कुल – राजस्व (उधार को छोड़कर) और उसके कुल – व्यय के बीच के अंतर को **' राजकोषीय घाटा '** कहा जाता है।
- इसे देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह एक संकेतक है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए किस सीमा तक उधार लेना चाहिए।
- **मुद्रा का मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति, ऋण स्तर में वृद्धि,** कर्ज़ के बोझ में वृद्धि का कारण बन सकता है।
- **कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय प्रबंधन और सुचारू अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत होते हैं।**

भारत – सरकार के राजकोषीय नीति- निर्धारण के प्रमुख उपकरण का परिचय :

भारत सरकार के राजकोषीय नीति – निर्धारण के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित है –

सरकारी खर्च – सरकारी खर्च को समायोजित करके आर्थिक उत्पादन को प्रभावित किया जा सकता है। सरकारी व्यय में समुदाय के लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना शामिल है, इसे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भविष्य में लाभ पैदा करने के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियों, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च को सरकारी सकल पूंजी निर्माण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्थानांतरण भुगतान – इसका उपयोग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, छात्र अनुदान और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को सरकारी भुगतान का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

कर – कर एक राजकोषीय नीति उपकरण है क्योंकि करों में परिवर्तन औसत उपभोक्ता की आय को प्रभावित करता है, और उपभोग में परिवर्तन से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन होता है। इसलिए, करों को समायोजित करके सरकार आर्थिक उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। करों को कई तरीकों से बदला जा सकता है।

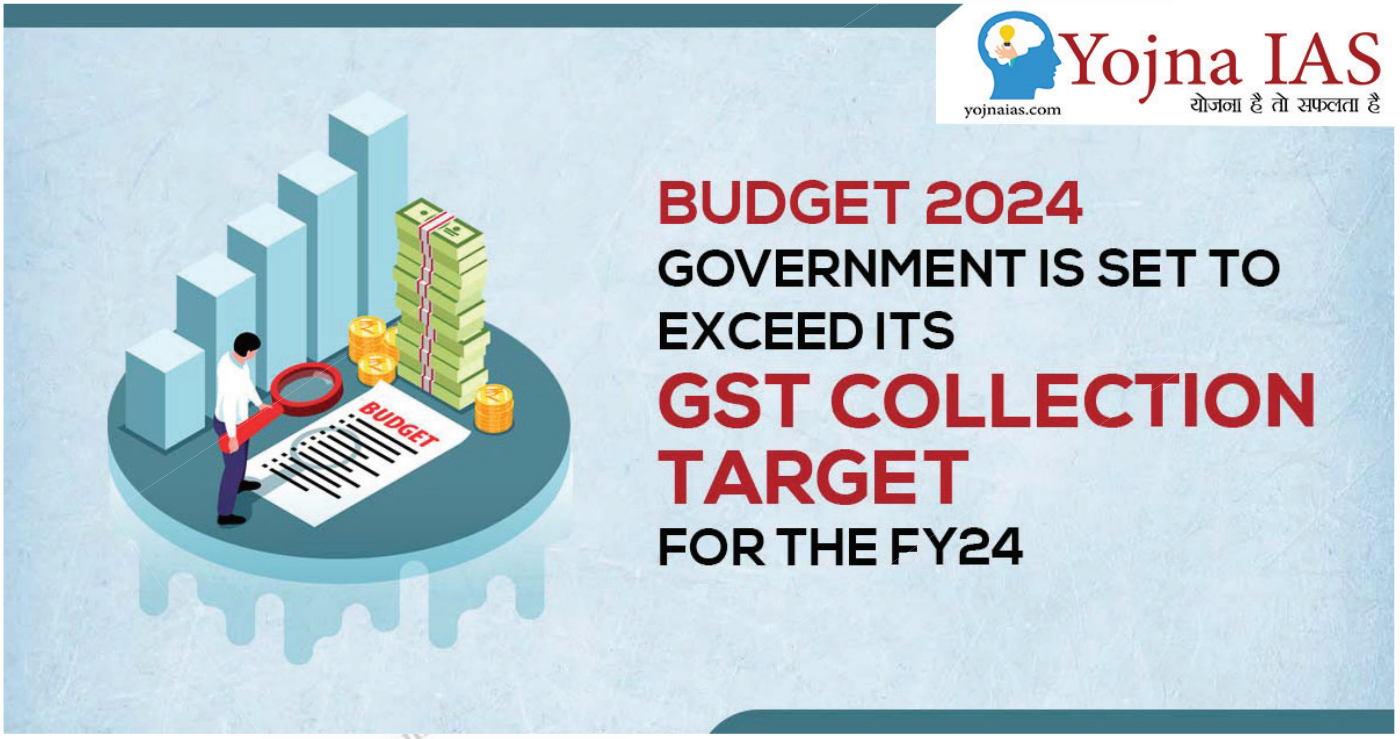

राजकोषीय घाटे के सकारात्मक पहलू :

- **सरकारी खर्च में वृद्धि :** सरकार को **सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढाँचे और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने** में राजकोषीय घाटा सक्षम बनाता है जो आर्थिक विकास के लिए काफी सहायक साबित हो सकते हैं।
- **दीर्घकालिक निवेशों का वित्तपोषण :** राजकोषीय घाटे के माध्यम से बुनियादी **ढाँचागत परियोजनाओं** जैसे दीर्घकालिक निवेशों को सरकार वित्तपोषित कर सकती है।
- **बेरोजगारी को कम करने और रोज़गार सृजन में सहायक :** सरकारी व्यय में वृद्धि से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और देश में रोजगार का सृजन हो सकता है, जो **बेरोजगारी को कम करने और लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने में मदद कर सकता है।**

राजकोषीय घाटे के नकारात्मक पहलू :

- **कर्ज़ का बढ़ता बोझ :** लगातार उच्च राजकोषीय घाटा **सरकारी ऋण में वृद्धि** को दर्शाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज़ चुकाने का दबाव डालता रहता है।
- **मुद्रास्फीति में दबाव उत्पन्न होना :** बड़े राजकोषीय घाटे से धन की आपूर्ति में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे **आम जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है।**

- **निजी निवेश में कमी :** सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए भारी उधार लेना पड़ सकता है, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है और निजी क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, इस प्रकार निजी निवेश में कमी हो सकता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और भुगतान संतुलन पर दबाव की समस्या :** यदि कोई देश **बड़े राजकोषीय घाटे** की स्थिति से गुज़र रहा है, तो उसे विदेशी स्रोतों से उधार लेना पड़ सकता है, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है और **भुगतान संतुलन पर दबाव** पड़ सकता है।

भारत में राजकोषीय समेकन में होने वाले घाटों के विभिन्न प्रकार :

प्राथमिक घाटा : ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे के समान ही **प्राथमिक घाटा** होता है। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं और इसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर को बताता है, लेकिन यह पिछले वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान हेतु किये गए व्यय को ध्यान में नहीं रखता है।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

राजस्व घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

प्रभावी राजस्व घाटा : यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर होता है।

भारत में रंगराजन समिति द्वारा सार्वजनिक व्यय संबंधी प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का सुझाव दिया गया है।

निष्कर्ष :

- पूंजीगत व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उबारना भारत की प्राथमिकता है। बुनियादी ढाँचे में सरकारी निवेश में वृद्धि के साथ **निजी निवेश भी बढ़ेगा, आर्थिक (GDP) विकास को बढ़ावा मिलेगा, परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे के GDP अनुपात में कमी आएगी।**
- सतत दीर्घावधिक विकास के लिए बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, दोनों निजी निवेश के सुधार पर केंद्रित है। निवेश को बढ़ाकर और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता के लिए कर दरों में कटौती की आवश्यकता है। कर की दरों में वृद्धि करने की अपेक्षा राजस्व संग्रहण पर अधिक ज़ोर देने की ज़रूरत है। कर की अधिक दरें एक सीमा तक ही कर में वृद्धि करने में सक्षम हो सकती हैं जैसा कि लाफर वक्र में इंगित है कि इस सीमा के पश्चात् कर संग्रहण में कमी आने लगती है। इससे कर संग्रहण तो कम होता ही है, साथ ही निवेश में भी कमी आती है एवं उद्योग जगत भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यदि सरकार धीरे-धीरे OECD रिपोर्ट के अनुसार करों का तार्किकीकरण करती है तो इससे आने वाले समय में निवेश में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी एवं कर राजस्व में भी वृद्धि होगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नियोजित राजस्व और व्यय उपाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वस्तु एवं सेवा कर (GST)' कई प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किये गए विभिन्न करों की जगह लेकर यह भारत में एकल बाज़ार स्थापित करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटा' को काफी कम कर देगा और इसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम

बनाएगा।

3. यह भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और आकार में अत्यधिक वृद्धि करेगा एवं निकट भविष्य में इसे चीन से आगे निकलने में सक्षम बनाएगा।
4. कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय प्रबंधन और सुचारू अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत होते हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2 , 3 और 4
(C) केवल 1 और 4
(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (C)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की सुदृढ़ीकरण के लिए कौन से उपाय सुझाए गए हैं ? 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह चर्चा कीजिए कि बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष किस प्रकार एक चुनौती है ?

Yojna IAS
yojnaias.com